फाइन नं0-71-1001(099)/153/2021

108/2022/।/224459/2022

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ: दिनॉक 13 अक्टूॅबर, 2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ में लेक्चर थियेटर एवं केन्द्रीय पुस्तकालय के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–एमई/बजट/2022-23/383, दिनांक 20.09.2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में अवगत कराना है कि राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ में लेक्चर थियेटर एवं केन्द्रीय पुस्तकालय के निर्माण हेतु रू0 1617.60 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति तथा रू0 640.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-1048/71-1-15-जी-36/2014, दिनॉक 26-05-2015 द्वारा प्रदान की गयी है। तदनन्तर शासनादेश संख्या-257/2018/4195/71-1-2018-जी-36/2014, दिनॉक 27-09-2018 द्वारा रू0 200.00 लाख, शासनादेश संख्या-69/2019/2107/71-1-2019-जी-36/2014, दिनॉक 13-08-2019 द्वारा रू0 300.00 लाख एवं शासनादेश संख्या-114/2020/3602/71-1-2020-जी-36/2014, दिनॉक 26-09-2020 द्वारा रू0 50.00 लाख, शासनादेश संख्या-20/2021/360/71-1-2021-जी-36/2014, दिनॉक 01-02-2021 द्वारा रू0 242.64 लाख एवं शासनादेश संख्या-98/2021/।/70555/2021-71-1001/90/2020, दिनांक 14.06.2021 द्वारा रू0 104.07 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। इस प्रकार कुल रू0 1536.71 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

2- इस सम्बन्ध में आपके उपरिसन्दर्भित पत्र दिनांक 20.09.2022 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मेडिकल कालेज, मेरठ में लेक्चर थियेटर एव केन्द्रीय पुस्तकालय के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि (05 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ हेतु अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत 24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0 1300.00 लाख के सापेक्ष रू0 80.89 लाख (रू0 अस्सी लाख नवासी हजार मात्र) की धनराशि इस शर्त के अधीन अवमुक्त की जाती है कि कार्यपूर्ति, गुणवत्ता, बिल्डिग हस्तान्तरण आदि की समस्त जिम्मेदारी प्रधानाचार्य की होगी।

3- उक्त के सम्बन्ध में निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये:-

नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों

1- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 07.06.2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।

4- कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक/प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।

5- अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा, अपितु आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। आहरित धनराशि को डाकघर/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

6- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की दिरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक /प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

7- कार्यदायी संस्था को दो माह की आवश्यकता के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जायेगी। विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाये।

8- शासनादेश संख्या-1048/71-1-2015-जी-36/2014, दिनॉक 26-05-2015 में उल्लिखित अन्य शर्ते यथावत् रहेंगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 80,89,000 (रुपये अस्सी लाख नवासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031054100 मेडिकल कालेज मेरठ **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक -07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

संख्या/तद्यदिनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ।
4- वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, मेरठ।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8- नियोजन अनुभाग-4/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in